[2018] 3 एस. सी. आर. 1011

/

नंदकुमार और एएनआर बनाम

केरल और ओआरएस का राज्य। (2018 की आपराधिक अपील संख्या 597) अप्रैल 20,2018

/

**[**ए**.** के**.** सिकरी और अशोक भूषण**,** जे**.** जे**.]**

बंदी प्रत्यक्षीकरण-प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा दायर लिखित याचिका जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनकी बेटी अपीलार्थी संख्या 4 की अवैध हिरासत में थी। 1 और उच्च न्यायालय में अपनी बेटी को पेश करने के लिए अपीलकर्ताओं को निर्देश देने की मांग करते हुए-रिट याचिकाकर्ता का मामला यह था कि बंदी और अपीलार्थी नं. 1 जिस दिन उनकी शादी संपन्न हुई थी, उस दिन विवाह योग्य आयु प्राप्त नहीं की थी और इसलिए, उनकी बेटी अपीलार्थी नं. 1 की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी नहीं थी। 1-उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और उसकी बेटी की अभिरक्षा उसे सौंप दी-अपील पर, अभिनिर्धारित किया:दोनों अपीलार्थी नं. 1 और रिट याचिकाकर्ता की बेटी बालिग है और उसे विवाह से बाहर भी एक साथ रहने का अधिकार है-विधानमंडल 'लिव-इन रिलेशनशिप' को अधिकृत करता है-पसंद की स्वतंत्रता लड़की पर है कि वह किसके साथ रहना चाहती है-लड़की ने अपीलकर्ता के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की है। 1, उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को दरकिनार कर दिया गया है-घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005-वैवाहिक कानून-हिंदू विवाह अधिनियम, 1955। 5, 12 – भारत का संविधान-एक वयस्क व्यक्ति की पसंद का अधिकार।

/

/

/

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया **:**अपीलार्थी नं**. 1** और रिट याचिकाकर्ता की बेटी दोनों ही बालिग हैं।भले ही वे विवाह में प्रवेश करने के लिए सक्षम नहीं थे **(**जो स्थिति स्वयं विवादित है**),** उन्हें विवाह के बाहर भी एक साथ रहने का अधिकार है।**'**लिव**-**इन रिलेशनशिप **'**को अब स्वयं विधानमंडल द्वारा मान्यता दी गई है जिसने घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम**, 2005** के प्रावधानों के अंतर्गत अपना स्थान पाया है।लड़की ने अपीलार्थी संख्या **1** के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की है।लड़की की अभिरक्षा प्रतिवादी संख्या **4** को सौंपने वाले उच्च न्यायालय के

निर्देशों को दरकिनार कर दिया गया है।**[**पैरा **10,14** और **15] [1015-**सी**; 1018-**बी-सी**]**

/

/

शफीन जहां बनाम अशोकन के. एम. और अन्य। 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन

/

एससी **343-**पर भरोसा किया।

1011 ए.

1012

/

[2018] 3 एस सी आर।

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2018 की आपराधिक अपील संख्या 597।

एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के दिनांकित 28.04.2017 के निर्णय और आदेश से, W. P. (सीआरएल।) 2017 का सं. 149।

सिद्धार्थ दवे, सुश्री जेमती बेन, ए. रघुनाथ, एम. जी. योगमाया, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

/

विपिन नायर, पी. बी. सुरेश, अभय प्रताप सिंह, कार्तिक जयशंकर, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय ए. के. सिकरी, जे. 1 द्वारा दिया गया था।अनुमति दी गई।

/

2. वर्तमान अपील की ओर ले जाने वाले संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलार्थी संख्या 1 ने Ms.Thushara से शादी की है।अपीलार्थी के अनुसार, यह विवाह केरल के त्रिवेंद्रम जिले में स्थित चक्कुलाथुकावु भगवती मंदिर में आई. डी. 1 पर संपन्न हुआ था।जहाँ तक तुषार का संबंध है, विवाह की तारीख पर, वह स्वीकार्य रूप से 19 वर्ष की थी और इसलिए, विवाह करने में सक्षम थी।ऐसा प्रतीत होता है कि उस विवाह के बाद, वह अपीलार्थी संख्या 1 के साथ उसकी पत्नी के रूप में रहने लगी।

/

3. उत्तरदाता संख्या 4 तुषार के पिता हैं।उन्होंने डब्ल्यू. पी. (सी. आर. एल.) होने के नाते बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। नहीं. केरल उच्च न्यायालय में 149/2017 (S) ने आरोप लगाया कि 10.04.2017 के बाद से उनकी बेटी तुषार लापता थी।उन्होंने उक्त याचिका में यह भी कहा कि तुषार अपीलार्थी संख्या 1 की अवैध हिरासत में थी।वास्तव में, प्रतिवादी संख्या 4 ने 10.04.2017 पर अपनी बेटी के लापता होने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की थी।रिट याचिका में इस तथ्य को बताते हुए उन्होंने कहा कि हालांकि उक्त प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन मामले में कोई प्रभावी जांच नहीं की गई थी।उस आधार पर, याचिका में की गई प्रार्थना हैबियस कॉर्पस की रिट जारी करने के लिए थी जिसमें अपीलकर्ताओं को अपनी बेटी को उच्च न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया गया था।यह रिट याचिका 25.04.2017 पर स्वीकार की गई थी और विशेष दूत द्वारा अपीलार्थियों को नोटिस का आदेश दिया गया था।उस दिन, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को प्रतिवादी संख्या 4 की बेटी का पता लगाने और अदालत में पेश करने का भी निर्देश दिया।28.04.2017 पर, जब रिट याचिका पर विचार किया गया, तो प्रतिवादी संख्या 4 और उनकी पत्नी उपस्थित थे।याचिकाकर्ता भी उपस्थित थे। पुलिस उपनिरीक्षक, वातग्तीयोरकावू पुलिस स्टेशन ने हिरासत में लिए गए व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया।उच्च न्यायालय ने तुषार सहित पक्षों के साथ बातचीत की।

/

/

/

/



/

4. जैसा कि ऊपर बताया गया है, जहां तक तुषार का संबंध है, वह 19 वर्ष की थी और इसलिए, शादी करने के लिए सक्षम थी, क्योंकि महिलाओं के लिए विवाह की आयु 18 वर्ष है। तथापि, इसमें अपीलार्थी संख्या 1 की आयु के बारे में विवाद उत्पन्न हुआ।प्रत्यर्थी सं. 4 का यह तर्क था कि अपीलार्थी सं. 1 की आयु 21 वर्ष से कम थी और इसलिए वह विवाह योग्य आयु का नहीं था।इस तथ्य का पता लगाने के लिए, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी संख्या 1 को अपनी जन्म तिथि सूचित करने के लिए कहा।उन्होंने अपनी जन्म तिथि 30.05.1997 बताई, और इसके समर्थन में, लाइसेंस देने वाले अधिकारियों द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत किया।इसे अपीलार्थी संख्या 1 की जन्म तिथि मानते हुए, उच्च न्यायालय ने पाया कि वह केवल 30.05.2018 पर 21 वर्ष की आयु प्राप्त करेगा।इसलिए, आई. डी. 1 पर, जब अपीलार्थी संख्या 1 और तुषार के बीच विवाह संपन्न हुआ, तो अपीलार्थी संख्या 1 विवाह योग्य आयु का नहीं था।उस आधार पर, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि प्रतिवादी संख्या 4 की बेटी

अपीलार्थी संख्या 1 की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी नहीं है।उच्च न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किए गए विवाह की तस्वीरों के अलावा, यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि पक्षों के बीच एक वैध विवाह किया गया था और केरल विवाह पंजीकरण (सामान्य) नियम, 2008 के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया था।इन तथ्यों पर, उच्च न्यायालय ने तुषारा की अभिरक्षा उसके पिता यानी प्रतिवादी संख्या 4 को सौंपकर रिट याचिका को अनुज्ञात कर लिया, जैसा कि आक्षेपित आदेश में निहित निम्नलिखित निर्देशों से स्पष्ट है:

/

/

/

/

“हम तदनुसार याचिकाकर्ता को याचिकाकर्ता की बेटी सुश्री तुषार की अभिरक्षा सौंपकर रिट याचिका का निपटारा करते हैं।पुलिस उपनिरीक्षक, वट्टियूरकावू, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके साथ तिरुवनंतपुरम में उनके आवास तक जाएंगे। "5. उपरोक्त आदेश को स्वीकार करते हुए, वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी जाती है।6. उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया गया था।प्रत्यर्थी संख्या 1/केरल राज्य के साथ-साथ आधिकारिक प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3।, पुलिस अधीक्षक और पुलिस उप-निरीक्षक ने राज्य के वकील के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।नोटिस दिए जाने के बावजूद प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ है।उपरोक्त परिस्थितियों में, हमने अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील के साथ-साथ राज्य के लिए विद्वान वकील को भी सुना है।

/

/

7. अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा एक स्पष्ट निवेदन यह है कि उच्च न्यायालय ने एक दृष्टिकोण अपनाया है जो नहीं है

/

विवाह की वैधता में जाकर विधि  में अनुज्ञेय।यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब तुषार निश्चित रूप से एक वयस्क है, यानी 18 वर्ष से अधिक उम्र की है, तो उसे अपनी पसंद के अनुसार जहाँ चाहे रहने या जाने का अधिकार है।चूँकि वह प्रतिवादी संख्या 4 की नाबालिग बेटी नहीं है, इसलिए तुषार की "अभिरक्षा" उसे नहीं सौंपी जा सकी।

8. अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील उनकी प्रस्तुति में सही है।यहां तक कि राज्य के वकील ने भी विधि  में उपरोक्त स्थिति पर विवाद नहीं किया और वास्तव में, अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील के इस प्रस्तुतिकरण का समर्थन किया।जहाँ तक तुषारा के साथ अपीलार्थी संख्या 1 (जो विवाह की तारीख को 21 वर्ष से कम आयु का था और विवाह योग्य आयु का नहीं था) के विवाह का संबंध है, यह नहीं कहा जा सकता है कि केवल इसलिए कि अपीलार्थी संख्या 1 की आयु 21 वर्ष से कम थी, पक्षों के बीच विवाह अमान्य है।अपीलार्थी नं. 1 के साथ-साथ तुषार भी हिंदू हैं।इस तरह का विवाह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अंतर्गत  एक अमान्य विवाह नहीं है, और धारा 12 के प्रावधानों के अनुसार, जो ऐसे मामले में आकर्षित किया जा सकता है, अधिक से अधिक, विवाह एक अमान्य विवाह होगा।9. हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 और धारा 12 इस स्थिति को स्पष्ट करती है जो नीचे पुनः प्रस्तुत की गई हैः

/

/

/

“5. हिंदू विवाह के लिए शर्तें।- शादी हो सकती है

यदि निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाता है, तो किसी भी दो हिंदुओं के बीच संपन्न किया जाता है, अर्थात् -

/

XXXXXXXXXXXXX

((ग) विवाह के समय दूल्हे की आयु 21 वर्ष और दुल्हन की आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी होगी।

/

12. रद्द किए जाने वाले विवाह।- (1) इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में संपन्न कोई भी विवाह अमान्य होगा और निम्नलिखित आधारों में से किसी पर भी अमान्यता की डिक्री द्वारा रद्द किया जा सकता है, अर्थात्ः-

1(क) कि प्रत्यर्थी की नपुंसकता के कारण विवाह पूरा नहीं हुआ है; या

/

(ख) कि विवाह धारा 5 के खंड (ii) में निर्दिष्ट शर्त का उल्लंघन है; या

(ग) कि याचिकाकर्ता की सहमति, या जहां धारा ए के अंतर्गत याचिकाकर्ता के विवाह में अभिभावक की सहमति की आवश्यकता थी।

/

1015

नंदकुमार बनाम केरल राज्य [ए. के. सिकरी, जे.] ए.

5 जैसा कि यह बाल विवाह प्रतिबंध (संशोधन) अधिनियम, 1978 (1978 का 2) के प्रारंभ से तुरंत पहले था, ऐसे अभिभावक की सहमति समारोह की प्रकृति या प्रतिवादी से संबंधित किसी भी भौतिक तथ्य या परिस्थिति के बारे में बलपूर्वक या धोखाधड़ी से प्राप्त की गई थी; या

(घ) कि विवाह के समय प्रत्यर्थी याचिकाकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गर्भवती थी। "

/

10. हमें इस पहलू में विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं है।हमारे उद्देश्यों के लिए, यह ध्यान रखना पर्याप्त है कि अपीलार्थी संख्या 1 और तुषार दोनों प्रमुख हैं।भले ही वे विवाह में प्रवेश करने के लिए सक्षम नहीं थे (जो स्थिति स्वयं विवादित है), उन्हें विवाह के बाहर भी एक साथ रहने का अधिकार है।यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि 'लिव-इन रिलेशनशिप' को अब स्वयं विधानमंडल द्वारा मान्यता दी गई है जिसने घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत अपना स्थान पाया है।

/

11. 'शफीन जहां बनाम अशोकन के. एम. और अन्य' [2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 343] के मामले में इस न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए एक निर्णय में, बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट से संबंधित विधि का उल्लेख करने के बाद, इस रिट को "एक महान संवैधानिक विशेषाधिकार" या "नागरिक स्वतंत्रता की पहली सुरक्षा" माना गया है।न्यायालय ने निम्नलिखित प्रासंगिक टिप्पणियां कीं:- “28. इस प्रकार, उक्त रिट का प्रमुख उद्देश्य यह देखना है कि कोई भी व्यक्ति विधि की मंजूरी के बिना उसकी स्वतंत्रता से वंचित न रहे।यह देखना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है कि उक्त अधिकार का किसी भी तरह से हनन न हो और इसकी पवित्रता किसी भी प्रकार के छल से प्रभावित न हो।न्यायालय की भूमिका यह देखना है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसके समक्ष पेश किया जाए, उसकी स्वतंत्र पसंद के बारे में पता लगाया जाए और यह देखा जाए कि व्यक्ति को अवैध प्रतिबंध से रिहा किया गया है।जब हिरासत अवैध नहीं होगी तो मुद्दा अलग होगा।यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्रता का गीत ईमानदारी से गाया जाता है और किसी व्यक्ति की पसंद का सम्मान किया जाता है और संविधान की गारंटी के रूप में इसका सम्मानित दर्जा प्रदान किया जाता है।यह इसलिए है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के अंतर्गत पसंद की अभिव्यक्ति एक मौलिक अधिकार है, यदि उक्त

विकल्प किसी भी वैध कानूनी ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है।एक बार जब वह पहलू स्पष्ट हो जाता है, तो जांच और दृढ़ संकल्प को समाप्त करना होगा।

/

/

/

/

29. तत्काल मामले में, उच्च न्यायालय , जैसा कि आक्षेपित फैसले से ध्यान देने योग्य है, गलती से किसी प्रकार से निर्देशित किया गया है

/



सामाजिक घटना जो इससे पहले चित्रित की गई थी।रिट न्यायालय ने याचिकाकर्ता के साथ प्रतिवादी संख्या 9 के विवाह पर आपत्ति जताई है।वह परेशान महसूस कर रहा था।जैसा कि हम देखते हैं, इसमें कुछ भी अपवाद नहीं था।शुरू में, हदिया ने अपने पिता के साथ जाने से इनकार कर दिया था और उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 7 के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की थी और पहली रिट में उसने ऐसा निर्देश दिया था।संभवतः जुनूनी माता-पिता के प्यार से प्रेरित पिता के अलग रहने के रवैये ने उन्हें एक अन्य बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए विवश कर दिया, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने हादिया को पेश करने का निर्देश दिया, जो यहां अपीलार्थी के साथ दी गई तारीख को पेश हुआ था, जिसे उच्च न्यायालय एक अजनबी कहता है।लेकिन हदिया इस बात पर जोर देती कि उसने उससे शादी कर ली है।यह सच है कि वह उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 7 के साथ गई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है और इसका मतलब यह नहीं हो सकता है कि वह एक वयस्क के रूप में वैवाहिक संबंध में प्रवेश नहीं कर सकती थी।लेकिन, उच्च न्यायालय ने अनुचित रूप से इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि माता-पिता के प्यार या चिंता को किसी वयस्क के उस पुरुष को चुनने के अधिकार को कम करने की अनुज्ञात नहीं दी जा सकती है जिससे वह शादी कर ले।और, यही वह जगह है जहाँ त्रुटि आई है।उच्च न्यायालय को उनकी पसंद के संबंध में एक बातचीत के बाद निर्देश देना चाहिए था कि वह जहां चाहें जाने के लिए निशुल्क हैं। "

/

/

/

/

12. न्यायालय  ने एक वयस्क व्यक्ति की पसंद के अधिकार के उचित महत्व पर भी जोर दिया, जिसे संविधान एक वयस्क व्यक्ति को निम्नानुसार प्रदान करता है:

"54. यहाँ यह कहना अनिवार्य है कि विधि  के अनुसार पसंद की अभिव्यक्ति व्यक्तिगत पहचान की स्वीकृति है।उस अभिव्यक्ति में कटौती और उससे समाज के प्रति समर्पण की वैचारिक संरचनावाद पर उत्पन्न होने वाली अंतिम कार्रवाई किसी व्यक्ति की व्यक्तिवादी इकाई को नष्ट कर देगी।सामाजिक मूल्यों और नैतिकता का अपना स्थान है लेकिन वे संवैधानिक रूप से गारंटीकृत स्वतंत्रता से ऊपर नहीं हैं।उक्त स्वतंत्रता संवैधानिक और मानव अधिकार दोनों है।उस स्वतंत्रता से वंचित होना जो विश्वास के आग्रह पर चुनाव में निहित है, अस्वीकार्य है।एक व्यक्ति का विश्वास उसके सार्थक अस्तित्व के लिए आंतरिक है।आस्था की स्वतंत्रता उसके स्वायत्तता के लिए आवश्यक है और यह संविधान के मूल मानदंडों को मजबूत करता है।आस्था चुनना व्यक्तित्व का आधार है और इसके बिना, पसंद का अधिकार ए

/

/

/



छाया बन जाती है।यह याद रखना होगा कि अधिकार की प्राप्ति अधिकार प्रदान करने से अधिक महत्वपूर्ण है।इस तरह की वास्तविकता वास्तव में किसी भी प्रकार की सामाजिक कुख्याति का बहिष्कार करती है और पितृसत्तात्मक सर्वोच्चता को दूर रखती है।ऐसा इसलिए है क्योंकि व्यक्तिगत विश्वास और पसंद की अभिव्यक्ति अधिकार के फलने-फूलने के लिए मौलिक हैं।इस प्रकार, हम इसे अनिवार्य प्रारंभिक शर्त कहना चाहेंगे।

/

55. उसकी पसंद को स्वीकार न करने का मतलब केवल एक संवैधानिक न्यायालय  द्वारा संवैधानिक अधिकार के लिए असुविधा पैदा करना होगा जो मौलिक अधिकारों का रक्षक है।ऐसी स्थिति की दूर से कल्पना नहीं की जा सकती है।न्यायालय  का कर्तव्य अधिकार को बनाए रखना है और अधिकार के क्षेत्र को कम करना नहीं है जब तक कि विधि  का कोई वैध अधिकार

न हो।वैध मंजूरी के बिना, स्वतंत्रता के केंद्रीय मूल्य को एक व्यक्ति को अपनी लिपि लिखने की अनुमति देनी चाहिए।व्यक्तिगत हस्ताक्षर अवधारणा का प्रतीक चिन्ह है।

/

13. हम उक्त मामले में डॉ. न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ द्वारा दिए गए सहमति वाले निर्णय से निम्नलिखित चर्चा को भी पुनः प्रस्तुत करते हैं:"81. सोनी गेरी बनाम गेरी डगलस 'मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ के एक और हालिया फैसले में, इस न्यायालय ने एक ऐसे मामले पर विचार किया जिसमें अपीलार्थी और प्रतिवादी की बेटी, जो एक वयस्क थी, ने कुवैत में रहने की इच्छा व्यक्त की थी, जहां वह अपने पिता के साथ अपनी शिक्षा प्राप्त कर रही थी।इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

/

/

"9.....उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के स्पष्ट रूप से कहा है कि वह अपना करियर बनाने के लिए कुवैत वापस जाने का इरादा रखती हैं।ऐसी स्थिति में, हमारी सुविचारित राय है कि एक मेजर के रूप में, वह अपनी पसंद और स्वतंत्रता का प्रयोग करने की हकदार है और न्यायालय इस पहलू में नहीं जा सकता है कि उसे पिता द्वारा मजबूर किया गया है या नहीं। कुवैत में अपने पिता के पास वापस जाने के लिए उसकी ओर से पर्याप्त कारण हो सकते हैं, लेकिन हम उसके कारणों से चिंतित नहीं हैं।उन्होंने न्यायालय के समक्ष जो कहा है, वह केवल वही मायने रखता है और यही इस न्यायालय के लिए तर्क का केंद्र है, जो सभी विवादों को दूर रखता है।

/

/

10. यह कहने के लिए कोई विशेष जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि किसी व्यक्ति के जीवन में वयस्कता की आयु प्राप्त करने का अपना महत्व है।उसे अपनी पसंद चुनने का अधिकार है। अदालतें, जब तक विकल्प बना रहता है, पेरेंस पेट्रिया की भूमिका नहीं निभा सकती हैं।बेटी को अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेने का अधिकार है जैसा कि विधि अनुमति देता है।

/

और न्यायालय  को माँ की किसी भी तरह की भावना या पिता के अहंकार से प्रेरित एक अति संरक्षक की भूमिका नहीं माननी चाहिए।हम बिना किसी आरक्षण के ऐसा कहते हैं। "14. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण हो सकता है कि जहाँ तक तुषार का संबंध है, उन्होंने अपीलार्थी संख्या 1 के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की है। 15.तदनुसार, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और उच्च न्यायालय  के आक्षेपित  निर्णय  को खारिज कर देते हैं।हालाँकि, चूंकि तुषार पेश नहीं हुई हैं क्योंकि उन्हें इन कार्यवाही में पक्षकार नहीं बनाया गया था, इसलिए तुषारा की अभिरक्षा प्रतिवादी संख्या 4 को सौंपने वाले उच्च न्यायालय  के निर्देशों अपास्त करते हुए ते हुए, हम यह स्पष्ट करते हैं कि पसंद की स्वतंत्रता तुषारा की होगी कि वह किसके साथ रहना चाहती है।

/

/

/

अपील अनुज्ञात ।

/

/

/

/

/